कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

पत्रावली संख्या 14/2012 नकल निर्णय दिनांक 20/11/12 व प्रपत्र संख्या -4/

विषय:- टी. आई. आई. एस. यूनिवर्सिटी ट्रस्ट जयपुर।

नकल संलग्न है।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर

1. क्रमांक नम्बर 465
2. तारीख दरख्वास्त 30/11/12
3. तारीख तैयार नकल 3/12/12
4. तारीख नकल दी जाने 3/12/12
5. स्टाम्प फीस 3/-
6. वजह नकल रिकार्ड
7. हस्ताक्षर नकल तैयार कर्ता

कार्यालय सहायक आयुक्त, (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रकरण संख्याः 14/2012 निर्णय दिनांक 20.11.12

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री अशोक गुप्ता एवं राजीव सोगानी ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रपत्र–8 दिनांक 28.6.2012 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दी आई.आई.एस. यूनिवर्सिटी ट्रस्ट जयपुर का गठन इण्डियन कौसिंल फॉर इण्टरनेशनल एमिटी सोसायटी द्वारा किया गया है। भारत सरकार/यू.जी.सी. द्वारा इण्डियन कौसिंल फॉर इण्टरनेशनल एमिटी सोसायटी द्वारा संचालित इण्टरनेशनल कॉलेज फॉर गर्ल्स को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने पर उक्त कॉलेज/विश्वविद्यालय के संचालन हेतु उक्त प्रन्यास का गठन किया था। सोसायटी द्वारा कॉलेज की सम्पत्तियां सैक्टर 11 एस.एफ.एस. स्थित 11781 वर्गमीटर भूमि मय भवन के जरिये प्रस्ताव दिनांक 16.11.07 से इस प्रन्यास को दे दी गई है तथा प्रन्यास का ही इस सम्पत्ति पर अधिकार एवं नियन्त्रण है। अतः इसे प्रन्यास सम्पत्ति के रूपमें दर्ज अभिलेख किया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यास में हितधारियों की व्यापक जानकारी हेतु अधिनियम की धारा 18(2) के तहत सार्वजनिक नोटिस जारी कर प्रकाशित कराया गया। उक्त नोटिस का प्रकाशन दैनिक नवज्योती समाचार पत्र के दिनांक 4.7.2012 को प्रकाशित अंक में हुआ। निर्धारित अवधि में किसी की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये गये:

1. प्रपत्र–8 में सूचना प्रदर्श–1
2. इण्डियन कौसिंल फॉर इण्टरनेशनल एमिटी सोसायटी द्वारा न्यास को भूमि समर्पण हेतु लिये गये प्रस्ताव दिनांक 16.11.2007.की प्रति प्रदर्श–2ए
3. आवासन मण्डल द्वारा जारी आवंटन पत्र की प्रति प्रदर्श–3ए

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी श्री राजीव सोगानी द्वारा अपनी साक्ष्य दर्ज कराई। प्रकरण में प्रार्थी अभिभाषक जगदीश प्रसाद जैन की बहस सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रन्यास द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र–8 में वर्णित सम्पत्ति 11781 वर्गमीटर भूमि जो सैक्टर 11 एस.एफ.

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर

एस. योजना मानसरोवर जयपुर में स्थित है का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा दिनांक 14.9.89 को न्यासकर्ता इण्डियन कौंसिल फॉर इण्टरनेशनल एमिटी सोसायटी को किया गया था। उक्त सोसायटी ने अपने प्रस्ताव दिनांक 16.11.2007 के द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया था कि सोसायटी द्वारा संचालित इन्टर नेशनल कॉलेज फॉर गर्ल्स को भारत सरकार/यू0जी0सी0 के द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिये जाने पर उक्त सम्पत्ति ट्रस्ट में समाहित करदी जावेगी।

वर्तमान में भारत सरकार/यू0जी0सी0 द्वारा इण्डियन कौंसिल फॉर इण्टरनेशनल एमिटी सोसायटी द्वारा संचालित इन्टर नेशनल कॉलेज फॉर गर्ल्स मानसरोवर जयपुर को डीम्ड विश्व विद्यालय का दर्जा दिनांक 2.2.2009 को दी आई. आई. एस. यूनिवर्सिटी के नाम से दिया गया है। इस यूनिवर्सिटी के संचालन हेतु ही दी आई. आई. एस. यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का गठन किया जाकर पंजीयन दिनांक 23.2.2008 को कराया गया है। तदनुसार सोसायटी द्वारा अपने प्रस्ताव दिनांक 16.11.2007 से समर्पित सैक्टर 11 एस.एफ.एस मानसरोवर योजना स्थित सम्पत्ति 11781 वर्गमीटर भूमि एवं उसपर निर्मित भवन इस प्रन्यास के स्वामित्व एवं अधिकार की है। प्रन्यास का ही उक्त सम्पत्तियों पर कब्जा है तथा प्रन्यास द्वारा ही अपने उद्येश्यों की पूर्ति हेतु उक्त सम्पत्तियों का उपयोग एवं उपभोग एवं प्रबन्ध किया जा रहा है। इसलिये उक्त सम्पत्ति को प्रन्यास सम्पदा के रूपमें दर्ज अभिलेख किया जाना उचित है। अतः राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुवे सैक्टर 11 एस.एफ.एस मानसरोवर योजना जयपुर स्थित सम्पत्ति 11781 वर्गमीटर भूमि को उक्त प्रन्यास की सम्पदा के रूपमें दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि उक्त सम्पत्ति एवं उसमें निर्मित भवनों का ब्लू-प्रिन्ट नक्शा तैयार कर 30 दिन में प्रस्तुत किया जावे। नियमानुसार प्रपत्र-4 में इन्द्राज किया जावे।

पत्रावली बाद मुकम्मिल तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 20.11.2012 को खुले रूपमें सुनाया गया।

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रमाणित प्रतिलिपि

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र संख्या - 4

(देखिये नियम 16 तथा 22 (ख)

परिवर्तनों का रजिस्टर

क्र.सं.	लोक न्यास का रजिस्टर्ड नम्बर तथा नाम	न्यासी के प्रतिवेदन की तारीख (यदि परिवर्तन प्रतिवेदन के अलावा अन्य आधार पर किये गये हो तो 'कुछ नहीं' लिखिये)	लोक न्यास रजिस्टर में वांछित परिवर्तनों का रूप	आज्ञा का सारांश, उसकी तारीख तथा सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
162	दी आई आई एस यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, जयपुर (मुहर: सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर) प्रमाणित प्रतिलिपि (हस्ताक्षर) सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर	28/6/12 उक्त इन्द्राज पत्रावली सं. 14/2012 मे पारित आदेश दिनांक 20/11/12 की पालना मे किया गया।	सम्पदा दर्ज (हस्ताक्षर) सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर	इण्डियन कॉउंसिल फॉर सोसायटी सोसायटी द्वारा संचालित इन्टरनेशनल कॉलेज फॉर गर्ल्स को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हो जाने व कालेज / यूनिवर्सिटी के प्रबन्धन एवं संचालन हेतु उक्त प्रन्यास का गठन किये जाने से समिति द्वारा धारित कालेज सम्पत्ति सेक्टर 11, S.F.S. मानसरोवर स्थित 11781 वर्गमीटर भूमि एवं उस पर निर्मित भवन अपने प्रस्ताव दिनांक 16.11.07 से दी आई आई एस यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को समर्पित कर दिया। उक्त प्रन्यास द्वारा ही इस सम्पत्ति को धारित कर उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग किया जा रहा है। अतः उक्त सम्पत्ति को जरिये आदेश दिनांक 20/11/12 से न्यास सम्पदा के रूप में दर्ज अभिलेख किया गया।	